फर्द अहकाम

बनाम अन्य [illegible]

21011/2254

...म न्यायालय

...स संख्या 15/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/7/2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित प्रकरण में पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है समय अभाव के कारण प्रकरण के आदेश नहीं लिखवाये जा सके प्रकरण में पुनः बहस सुनी जानी है पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/7/2023 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
		आज दिनांक 17/07/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/8/23 को पेश हो।	
		आज दिनांक 7/8/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/8/23 को पेश हो।	
	25/8/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित प्रकरण में पूर्व में बहस सुने छः माह से अधिक होने के कारण पुनः बहस अंतिम सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/8/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	31/8/23	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई वादी का वाद [illegible] स्वीकार [illegible] खारिज किया [illegible] पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर फैज नं० से नाम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:45 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 15/2021

निर्णय दिनांक : 31.08.2023

गंगासहाय पुत्र रामनाथ, जाति अहीर, उम्र 70 वर्ष, निवास ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

बनाम

वादीगण

1. कन्हैया लाल पुत्र प्रभात्या
2. कजोड पुत्र प्रभात्या
3. कालूराम पुत्र भूरा
4. औकार पुत्र सेडू (मृतक)
   4/1 मीरा देवी पत्नी स्व. औकार
5. किशना पुत्र चन्दा (मृतक)
   5/1 गोपाल पुत्र किशना
   5/2 कालूराम पुत्र किशना
   निवासीयान मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर
   5/3 फूली देवी पुत्री किशना पत्नी प्रभात
   5/4 बादामी देवी पुत्री किशना पत्नी रामचन्द्र
   निवासीयान निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
   5/5 शांति देवी पुत्री किशना पत्नी गोपाल
   5/6 मनभरी पुत्री किशना पत्नी धोलू
   5/7 धोली पुत्री किशना पत्नी लीलाराम
   निवासीयान दिवराला, तहसील अजीतगढ जिला सीकर
6. छीतर पुत्र श्योसहाय
7. छीतर पुत्र नानू
8. नाथ्या पुत्र चन्दा (मृतक)
   8/1 मूली देवी पत्नी स्व. नाथ्या
   8/2 नरसी पुत्र स्व. नाथ्या
   निवासीया मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर
   8/3 कमली पुत्री स्व. नाथ्या पत्नी बाबूलाल
   8/4 सीता पुत्री स्व. नाथ्या पत्नी गोपाल
   निवासीया ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर
   8/5 गुल्ली पुत्री स्व. नाथ्या पत्नी किशना
   8/6 रूकमा पुत्री स्व. नाथ्या पत्नी राधेश्याम
   निवासीयान लाडीपुरा, तहसोल जमवारामगढ, जिला जयपुर
   8/7 रामेश्वर पुत्र नाथ्या (मृतक)
   8/7/1 मूंगी पत्नी रामेश्वर
   8/7/2 लालचन्द पुत्र रामेश्वर
   8/7/3 बोदूराम पुत्र रामेश्वर
   8/7/4 बनवारी पुत्र रामेश्वर
   निवासीया मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर
   8/7/5 गुलाब पुत्री रामेश्वर पत्नी उमराव
   निवासी करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर
9. प्रकाश पुत्र पन्ना
10. बाबूलाल पुत्र पन्ना
11. भागीरथ पुत्र पन्ना
12. नाथी पत्नी भूरा (मृतक)
    12/1 रामकरण पुत्र स्व. भूरा
    12/2 कालूराम पुत्र स्व. भूरा
13. प्रभाती देवी पत्नी पन्नालाल
14. रूडा पुत्र चन्दा
15. रामकरण पुत्र भूरा
16. सूजी देवी पत्नी छीतर
17. सूजी देवी पुत्री नानू
    निवासीया मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाके ग्राम मानपुरा माचेडी पटवार हल्का मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 697 किस्म गै.मु.रास्ता व खसरा नम्बर 703 किस्म आबादी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार के अनुसार वादी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उक्त खसरा नम्बरान् से रास्ते के बाबत् है जिस के लिये वादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए पेश कर रखा है। वादी की ओर से पेश वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.08.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा .....मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 15/2021
निर्णय दिनांक : 31.08.2023

गंगासहाय पुत्र रामनाथ, जाति अहीर, उम्र 70 वर्ष, निवास ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र प्रभात्या
2. कजोड पुत्र प्रभात्या
3. कालूराम पुत्र भूरा
4. औकार पुत्र सेडू (मृतक)
   4/1 मीरा देवी पत्नी स्व. औकार
5. किशना पुत्र चन्दा (मृतक)
   5/1 गोपाल पुत्र किशना
   5/2 कालूराम पुत्र किशना
   निवासीयान मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर
   5/3 फूली देवी पुत्री किशना पत्नी प्रभात
   5/4 बादामी देवी पुत्री किशना पत्नी रामचन्द्र
   निवासीयान निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
   5/5 शांति देवी पुत्री किशना पत्नी गोपाल
   5/6 मनभरी पुत्री किशना पत्नी धोलू
   5/7 धोली पुत्री किशना पत्नी लीलाराम
   निवासीयान दिवराला, तहसील अजीतगढ जिला सीकर
6. छीतर पुत्र श्योसहाय
7. छीतर पुत्र नानू
8. नाथ्या पुत्र चन्दा (मृतक)
   8/1 मूली देवी पत्नी स्व. नाथ्या
   8/2 नरसी पुत्र स्व. नाथ्या
   निवासीया मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर
   8/3 कमली पुत्री स्व. नाथ्या पत्नी बाबूलाल
   8/4 सीता पुत्री स्व. नाथ्या पत्नी गोपाल
   निवासीया ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर
   8/5 गुल्ली पुत्री स्व. नाथ्या पत्नी किशना
   8/6 रूकमा पुत्री स्व. नाथ्या पत्नी राधेश्याम
   निवासीयान लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर
   8/7 रामेश्वर पुत्र नाथ्या (मृतक)
   8/7/1 मूंगी पत्नी रामेश्वर
   8/7/2 लालचन्द पुत्र रामेश्वर
   8/7/3 बोदूराम पुत्र रामेश्वर
   8/7/4 बनवारी पुत्र रामेश्वर
   निवासीया मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर
   8/7/5 गुलाब पुत्री रामेश्वर पत्नी उमराव
   निवासी करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर
9. प्रकाश पुत्र पन्ना
10. बाबूलाल पुत्र पन्ना
11. भागीरथ पुत्र पन्ना
12. नाथी पत्नी भूरा (मृतक)
    12/1 रामकरण पुत्र स्व. भूरा
    12/2 कालूराम पुत्र स्व. भूरा
13. प्रभाती देवी पत्नी पन्नालाल
14. रूडा पुत्र चन्दा
15. रामकरण पुत्र भूरा
16. सूजी देवी पत्नी छीतर
17. सूजी देवी पुत्री नानू
    निवासीया मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मानपुरा माचेडी पटवार हल्का मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नं 369 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नंबर 370 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नंबर 371 रकबा 0.43 हैक्टयर, खसरा नंबर 375 रकबा 0.75 हैक्टयर, खसरा नंबर 379 रकबा 0.17 हैक्टयर खसरा नंबर 382 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.47 हैक्टयर, खसरा नंबर 675 रकबा 0.42 हैक्टयर, खसरा नंबर 678 रकबा 0.57 हैक्टयर, खसरा नंबर 679 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नंबर 695/3788 रकबा 0.07 हैक्टियर, खसरा नंबर 711 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नंबर 729 रकबा 0.55 हैक्टियर, कुल खसरा 13 रकबा 4.53 हैक्टयर कृषि भूमि वादी के नाम खातेदारी रिकॉर्ड अंकित है। वादी की खातेदारी की उक्त भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं प्रतिवादी की भूमि में खसरा नम्बर 697 राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में 0.02 हैक्टेयर भूमि अंकित है जिसका उपयोग उपभोग वादी व प्रतिवादी दोनों के द्वारा किया जाता है, चूंकि प्रतिवादी की भूमि में अंकित गैर मुम्किन रास्ता 697 से पहले उससे लगती हुई सरकारी आबादी की भूमि जिसका खसरा नम्बर 703 है, उक्त भूमि से लगता हुआ गैर मुम्किन रास्ता खसरा नम्बर 697 है, जो रास्ता आज दिन तक आमद-रफद है। खसरा नम्बर 697 गैर मुम्किन रास्ता का अंतिम छौर वादी की भूमि खसरा नम्बर 695/3788 के लगवा है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 695/3788 की सीव ढोल को हटाकर अपनी जोत में जाने के लिए उक्त रास्ते को सूचारू आगे कर रखा है ताकि वादी अपने खातेदारी की भूमि में जाने के लिए कर रखा है ताकि वादी को किसी प्रकार से अपनी जोत में जाने-आने हेतु कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। वादी की जोत में आने-जाने के लिए अपने ऊंट-लड्डे, सिंचाई के साधन एवं यंत्र आदि के लिए एक मात्र आबादी भूमि खसरा नम्बर 703 एवं प्रतिवादी के खातेदारी में अंकित खसरा नम्बर 697 किस्म गैर मुम्किन रास्ता, ही एक मात्र रास्ता है, जिससे वादी अपनी जोत में आने-जाने हेतु उपयोग उपभोग करता है एवं उससे आगे अपनी जोत में स्वयं ने रास्ता बना रखा प्रतिवादीगण बाहुबल में वादी के बमुकाबले तादाद में एवं राजनिती पहूंच में, एवं संख्या बल में वादी से ज्यादा बलवान है एवं आये दिन वादी के उक्त सूचारू रूप से उपयोग उपभोग करने वाले रास्त को नाजायद तरीकों से बन्द करने हेतु आमादा रहते है, जिसका की प्रतिवादीगण को हक व अधिकार नहीं है। वादी द्वारा उक्त रास्ते को सूचारू रूप से आवगमन रखने हेतु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए पेश कर रखा है एवं उक्त रास्ते व उससे आगे सूचारू रूप से चालू रखने हेतु प्रार्थना पत्र के तहत सरकारी डी.एल.सी. के अनुसार भुगतान करने को तत्पर व तैयार है जिसका निवेदन वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कर रखा है। प्रतिवादीगण द्वारा यदि वादी के उपयोग व उपभोग गैर मुम्किन रास्ता खसरा नम्बर 697 को बन्द कर दिया जाता है तो वादी को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका द्रव्य में आंकलन नहीं किया जा सकता एवं वादी के अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि वादी अपनी ही जोत में जाने से महरूम हो जायेगा, जिससे वादी व वादी के परिवार को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा । उक्त सम्पूर्ण भूमि में अन्य किसी की जोत की तरफ से जाने-आने का रास्ता उपलब्ध नहीं हैं वादी की सम्पूर्ण जोत अन्य खातेदारी जोतों से घिरी हुई हैं वादी की जोत में आने-जाने के लिए एक मात्र रास्ता आबादी भूमि खसरा नम्बर 703 एवं गैर मुम्किन रास्ता खसरा नम्बर 697 है जिसे वादी को उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। अभी हाल ही में दिनांक 04.08.2020 को प्रतिवादीगण वादी की जोत खसरा नम्बर 695/3788 की सींव पर आये और खसरा नम्बर 697 गैर मुम्किन रास्ता के अंतिम छौर को बन्द करने का करने लगें। इस पर वर्तमान रिकार्ड वादी का परिवार दौड कर प्रतिवादीगण के पास आया और उनको मना किया कि इस रास्ते को बन्द मत करो अन्यथा हम हमारी जोत में चारों तरफ से बन्द हो जायेंगे और हमे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तो वहां आस-पास के लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों द्वारा समझाईस करने पर दिनांक 04.08.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा यह एलानिया धमकी देते हुए, उक्त समय मौके पर से चले गये एवं धमकी दी की आज नही तो कल हम इस रास्ते का बन्द करके रहेंगे, तुम्हे जो करना है वो कर लो। इसलिए दिनांक 04.08.2020 से वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है। प्रतिवादीगण बाहुबल वे लठ के जोर के आधार पर वादी का उपयोग व उपभोग का रास्ता खसरा नम्बर 697 किस्म गैर मुम्किन रास्ता को असामाजिक तत्व के साथ बन्द करना चाहते है एवं वादी प्रतिवादीगण के मुकाबले बाहुबल एवं आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर है इसलिए वादी अधिकारी है कि जरिये माननीय न्यायालय प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद करवा देवे कि प्रतिवादीगण वादी के द्वारा उपयोग उपभोग में किये जा रहे खसरा नम्बर 703 एवं गैर मुम्किन रास्ता खसरा नम्बर 697 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट - सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:45 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारी नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.11.2022 को प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 16.01.2023 को वादी साक्ष्य में ग्वाह गंगासहाय का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 25.08.2023 को प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी की खातेदारी की उक्त भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं प्रतिवादी की भूमि में खसरा नम्बर 697 राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में 0.02 हैक्टेयर भूमि अंकित है जिसका उपयोग उपभोग वादी व प्रतिवादी दोनों के द्वारा किया जाता है, चूंकि प्रतिवादी की भूमि में अंकित गैर मुम्किन रास्ता 697 से पहले उससे लगती हुई सरकारी आबादी की भूमि जिसका खसरा नम्बर 703 है, उक्त भूमि से लगता हुआ गैर मुम्किन रास्ता खसरा नम्बर 697 है, जो रास्ता आज दिन तक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

आमद–रफद है। खसरा नम्बर 697 गैर मुम्किन रास्ता का अंतिम छौर वादी की भूमि खसरा नम्बर 695/3788 के लगवा है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 695/3788 की सीव ढोल को हटाकर अपनी जोत में जाने के लिए उक्त रास्ते को सूचारू आगे कर रखा है ताकि वादी अपने खातेदारी की भूमि में जाने के लिए कर रखा है ताकि वादी को किसी प्रकार से अपनी जोत में जाने–आने हेतु कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। वादी द्वारा उक्त रास्ते को सूचारू रूप से आवगमन रखने हेतु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए पेश कर रखा है एवं उक्त रास्ते व उससे आगे सूचारू रूप से चालू रखने हेतु प्रार्थना पत्र के तहत सरकारी डी.एल.सी. के अनुसार भुगतान करने को तत्पर व तैयार है जिसका निवेदन वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कर रखा है। प्रतिवादीगण द्वारा यदि वादी के उपयोग व उपभोग गैर मुम्किन रास्ता खसरा नम्बर 697 को बन्द कर दिया जाता है तो वादी को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका द्रव्य में आंकलन नहीं किया जा सकता एवं वादी के अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि वादी अपनी ही जोत में जाने से महरूम हो जायेगा, जिससे वादी व वादी के परिवार को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा । अतः वादी का वाद विरूद प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

बहस वकील वादी व पत्रावली का मय दस्तावेज अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 697 किस्म गै.मु.रास्ता व खसरा नम्बर 703 किस्म आवादी में से आने जाने व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे बाबत् अनुतोष चाहा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 697 किस्म गै.मु.रास्ता व खसरा नम्बर 703 किस्म आबादी का वादी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उक्त खसरा नम्बरान् से रास्ते के बाबत् है जिस के लिये वादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए पेश कर रखा है। वादी की ओर से पेश वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादी की ओर से पेश वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्यामा राठौड़)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:45 IST
Reason: SelfAttested